

मांग संख्या 01
मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन हेतु रुपये 5.00 करोड़ की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 2 - 5

अधोसंरचना विकसित करने हेतु प्रशासन अकादमी में कार्यालय व्यय, व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां तथा मजदूरी हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02
मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

सत्कार कार्यालय के अंतर्गत आतिथ्य व्यय मद में रुपये 1.00 करोड़ की राशि का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

नवीन पुलिस मुख्यालय भवन के लिये फर्नीचर का क्रय किया जाना है। फर्नीचर क्रय हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अतिविशिष्ट एवं गणमान्य अतिथियों की सुरक्षा हेतु 10 बुलेट रजिस्टेन्स नवीन कार क्रय किया जाना है। इन वाहनों के क्रय पर राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय विभाग में उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन के माध्यम से किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

संचालनालय लोक अभियोजन के अंतर्गत एल.टी.सी. मद के अंतर्गत राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचतों से पुनर्विनियोजन से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

संचालक, मेडिकोलीगल के लिये नवीन वाहन का क्रय किया जाना है। इस हेतु राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

पुलिस मुख्यालय हेतु उपकरण मद में राशि रुपये 3.18 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 6 - 7

होमगार्ड हेतु भोजन भत्ता/विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 6.46 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

गृह विभाग हेतु मंत्रि-परिषद की साज-सज्जा मद में राशि रुपये 30.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

मद क्रमांक 1 - 4

प्रहरी वर्ग के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के एरियर का भुगतान एवं विद्युत तथा जल प्रभार मद में राशि रुपये 1339.77 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,39,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को सड़क परियोजनाओं के लिये व्ही.जी. एफ. की राशि देने हेतु राशि रुपये 5.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

मटेरियल का क्रय हेतु अतिरिक्त आवश्यक राशि रुपये 15.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

भू-प्रबंधन अंतर्गत विशेष सेवाओं हेतु मानदेय मद में व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से करने हेतु राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 2

राजस्व बोर्ड योजना अंतर्गत लघु निर्माण मद में कुल राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 1

वनों की अभिरक्षा हेतु विशेष पुलिस के अंतर्गत यात्रा भत्ता मद में रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 2

संविदा कर्मचारियों के वेतन/पारिश्रमिक भुगतान के लिये नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

वन विकास निधि में अंतरण (भारत) के अंतर्गत रुपये 82,39,68,900 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,39,68,900 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा के अंतर्गत रुपये 30.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 1

लघु उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु रुपये 150.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत राशि रुपये 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4851

मद क्रमांक 4

आटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा के लिये राशि रुपये 43,60,45,600 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,60,45,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6856

मद क्रमांक 5

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत ऋण तथा अग्रिम हेतु रुपये 3000.502 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,50,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 1

विद्युत वितरण कंपनियों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 90.96 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदाय की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

विद्युत वितरण कंपनियों को टैरिफ सब्सिडी की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 367.66 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदाय की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,67,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 3

विद्युत वितरण कंपनियों के लिये रुपये 550.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत खाद्य भण्डारण पर ब्याज अनुदान योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14

मुख्य शीर्ष 2403

मद क्रमांक 1 - 2

प्रशिक्षण एवं अध्ययन मद में विदेश भ्रमण हेतु राशि रुपये 23.40 लाख तथा म.प्र. कुक्कुट विकास निगम भोपाल भवन के वार्षिक संधारण हेतु राशि रुपये 25.11 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 48.51 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 6

पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन, पी.ओ.एल., अनुरक्षण तथा अन्य प्रभार हेतु राशि रुपये 4.10 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

गौ संवर्धन तथा पशुओं का संवर्धन हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक हेतु राशि रुपये 18.06 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

पशु संगणना की योजना हेतु राशि रुपये 463.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,63,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को अनुदान देने हेतु राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अमले के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	15
मुख्य शीर्ष	2515

मद क्रमांक 1

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। योजना अंतर्गत 1363 प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं में किचिनशेड कम स्टोर रूम का निर्माण किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में रुपये 270.93 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 90.31 लाख कुल रुपये 361.24 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,61,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	3604
-------------	------

मद क्रमांक 2

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन तथा स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 2022.43 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,22,43,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
मुख्य शीर्ष	2425

मद क्रमांक 1

सहकारिता विभाग के अंतर्गत आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें के कर्मचारियों के मकान किराया भत्तों हेतु राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सहकारिता विभाग के अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार के भुगतान हेतु रुपये 7.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सहकारिता विभाग के अंतर्गत आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें के कर्मचारियों हेतु मकान किराया भत्ता हेतु राशि रुपये 0.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें हेतु मकान किराया भत्ता हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2210

मद क्रमांक 1 - 6

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें कार्यालय के लिये वेतन, अन्य भत्ते, ग्रेडपे एवं बिजली एवं जल प्रभार दवाओं के क्रय हेतु कुल राशि रुपये 576.76 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,76,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 10

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें कार्यालय के लिये वेतन, अन्य भत्ते, मकान किराया, बिजली एवं जल प्रभार हेतु राशि रुपये 23.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	21
मुख्य शीर्ष	2217

मद क्रमांक 1

नगर एवं ग्राम निवेश के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त अधिकारी के वेतन भत्ते के आहरण हेतु नया बजट लाईन खोला जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

नगर तथा ग्राम निवेश के अंतर्गत इंदौर विकास प्राधिकरण को अनुदान हेतु राशि रुपये 924.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,24,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शहीदों के परिवारों को भूखण्ड प्रदाय हेतु गृह निर्माण मंडल को अनुदान के लिये रुपये 44.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4217
-------------	------

मद क्रमांक 4

नगर तथा ग्राम निवेश अंतर्गत रीवा शहर में बाल भारती स्कूल के सामने स्थित भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना अंतर्गत भवनों के मूल्य के भुगतान हेतु राशि रुपये 255.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2070

मद क्रमांक 1

अग्निशमन केन्द्र पीथमपुर के प्रशासकीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

अग्निशमन दल, मंत्रालय भोपाल के प्रशासकीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव अंतर्गत रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

शहरी परिवहन व्यवस्था का सुदृढीकरण के लिये राशि रुपये 50.09 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,09,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

बाण सागर परियोजना यूनिट दो अंतर्गत रुपये 45.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

बावनथड़ी परियोजना अंतर्गत रुपये 1.20 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

पंचम नगर परियोजना अंतर्गत रुपये 49.70 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 5

महुअर मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 10.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

कछाल मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

पवई परियोजना अंतर्गत रुपये 5.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

मझगांवा मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 40.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

सोनपुर मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 13.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

कीटखेड़ी मध्यम परियोजना अंतर्गत रुपये 3.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत रुपये 4.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

सेमरी तालाब परियोजना अंतर्गत रुपये 16.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

अपर ककटो बांध परियोजना अंतर्गत रुपये 22.80 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

मध्यम सिंचाई परियोजना (ए.आई.बी.पी.) अंतर्गत रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

मद क्रमांक 16

जिला दमोह में पायरा बाढ़ नियंत्रण योजना द्वितीय चरण लागत रुपये 179.25 लाख से निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सड़क तथा अन्य सड़कों के सुदृढीकरण योजना अंतर्गत रुपये 1000.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतिकरण एवं डामरीकरण में राशि रुपये 50.00 करोड़ के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 4

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नानुसार पुलों का निर्माण कार्य किया जाना है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लागत	प्रस्तावित प्रावधान
1.	रीवा	रीवा जिले में रायपुर मोड से बसहट मार्ग में मंधाघाट पर बेलन नदी पर पुल का निर्माण	494.08	100
2.	रीवा	रीवा जिले में गढ़ी मनिका खजुरिहा मार्ग में सुखाड नदी पर पुल का निर्माण	239.47	100
3.	रीवा	रीवा जिले में सोनौरी बडोखर मार्ग में गोरमा नदी के ऊपर पुल का निर्माण	379.24	100
4.	रीवा	रीवा जिले में सोनौरी बडोखर मार्ग में नैना नदी के ऊपर पुल का निर्माण	428.36	100
5.	सतना	सतना जिले में जसो सुरदहा मार्ग के कि.मी. 5/2-4 में अमरन नदी पर पुल का निर्माण	152.71	100
6.	सतना	सतना जिले में गोरसरी-मडवार-अमिलिया-मारकण्डेय मार्ग में पडरिहा एवं कुदना नाला में पुल निर्माण	350.68	100
7.	खण्डवा	खण्डवा जिले में खण्डवा-कालमुखी मार्ग के कि.मी. 8/2 में वाना नदी पर जलमग्नीय पुल का निर्माण	216.68	100
8.	दमोह	दमोह जिले में हटा विनती मडियादेव मार्ग में सुनार नदी पर पहुंच मार्ग सहित जलमग्नीय पुल का निर्माण	915.00	100
9.	मुरैना	जिला मुरैना में पोरसा से सागोली मार्ग के कि.मी. 10/2 में कोथर कला के पास कुवरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	435.00	100
10.	मुरैना	जिला मुरैना में जखोना चिंतामणी का पुरा एवं बरेथा के मध्य कुवरी नदी पर पुल का निर्माण	550.00	100
योग			4161.22	1000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नानुसार सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत	प्रस्तावित प्रावधान
1.	सतना	मडवार से अमिलिया मार्कडेय आश्रम मार्ग	14.00	963.86	100
2.	रीवा	मनिमा लखवार गढ़ी मार्ग का उन्नयन	12.00	716.73	100
3.	रीवा	त्योथर बायपास मार्ग का उन्नयन	0.60	161.00	100
4.	खण्डवा	जिला मुख्यालय खण्डवा के नगर निगम के अधीन शहरी क्षेत्र के मार्गों का पुर्ननिर्माण और चौराहो का सौंदर्यीकरण कार्य	14.59	914.45	100

योग 41.19 2756.10 400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निम्नानुसार सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना है।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	प्रस्तावित प्रावधान
------	------	--------------	----------------------------	------------------------

1.	रीवा	रीवा सिरमौर डभौरा मार्ग (मु.जि.मा.) के रीवा नगरी क्षेत्र में फोरलेन में उन्नयन एवं निर्माण	4.30	100
2.	इंदौर	मरीमाता चौराहे से शेष इंदौर उज्जैन फोरलेन मार्ग क्र. 27 लंबाई 2.40 कि.मी. का टू लेन से फोरलेन कार्य (पुल पुलिया चौड़ीकरण)	2.04	100
3.	उमरिया	इन्दवार ताला परासी मार्ग (राज्यमार्ग 10) एवं 11 के छूटे भाग का उन्नयन एवं निर्माण	32.40	100

योग 38.74 300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भू-अर्जन हेतु मुआवजा योजना अंतर्गत रुपये 100.00 करोड़ के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति मांग संख्या 24 की योजना 5003 म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम से समतुल्य राशि समर्पित कर की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 25
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

खनिज प्रशासन एवं खनिज अन्वेषण कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये नवीन वाहन क्रय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 1

संस्कृति संचालनालय के अंतर्गत समारोह के आयोजन हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

संचालनालय पुरातत्व के अंतर्गत नर्मदा परियोजना अंतर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु राशि रुपये 26.57 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

म.प्र. संस्कृति परिषद को विकास अनुदान के अंतर्गत खजुराहों, तानसेन एवं संस्कृत साहित्योत्सव के आयोजन हेतु राशि रुपये 183.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 130.00 लाख की राशि राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 1,83,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

स्मारकों/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास कार्य हेतु राशि रुपये 482.98 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,82,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 5

म.प्र. संस्कृति परिषद को विकास अनुदान के अंतर्गत जबलपुर कला संकुल निर्माण हेतु रुपये 60.00 लाख एवं ग्वालियर, उज्जैन कला संकुल निर्माण हेतु राशि रुपये 40.00 लाख कुल रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत अमले के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

माध्यमिक शालाओं के अंतर्गत कार्यरत अमले के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 15.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

सरकारी प्राथमिक शालाओं के अंतर्गत कार्यरत अमले के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत भारत सरकार से 100 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाना है, इस हेतु राशि रुपये 325.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,25,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28

मुख्य शीर्ष 2011

मद क्रमांक 1 - 3

राज्य विधान मंडल के अंतर्गत विधायक/मंत्री के वेतन, भत्ते तथा यात्रा भत्ता आदि के अंतर्गत राशि रुपये 705.00 लाख की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 7,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 - 7

राज्य विधान मंडल के अंतर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता में राशि रुपये 12.75 लाख की राशि आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में

स्वीकृत की गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 12,75,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 - 4

रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय अंतर्गत विभिन्न मदों वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय एवं वाहनो के क्रय अंतर्गत राशि रुपये 20.501 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,50,100 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

विधि विभाग सिविल एवं सत्र न्यायालय के अंतर्गत राशि रुपये 1.65 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

विधि विभाग निर्वाह पत्र तामिली स्थापना के अंतर्गत राशि रुपये 35.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 - 12

विधि विभाग सामान्य स्थापना के अंतर्गत राशि रुपये 1,64,00,100 के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,64,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13 - 16

विधि विभाग केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गठित न्यायालय के अंतर्गत राशि रुपये 5.45 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 - 19

विधि विभाग परिवार न्यायालय के अंतर्गत राशि रुपये 5.70 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 20

विधि विभाग सचिवालय सामान्य सेवाये में हुये व्यय के लंबित देयक एवं शेष माहों हेतु राशि रुपये 3.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21 - 25

विधि विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अंतर्गत राशि रुपये 4.80 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1-6

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास खण्ड कार्यालय, विकास आयुक्त, जिला स्तर का अमला, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हेतु वेतनभत्ते

मद में राशि रुपये 283.04 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,83,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32
मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत निर्वाचन हेतु विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 2

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 60.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

मद क्रमांक 3

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 16.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2041

मद क्रमांक 4

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

मद क्रमांक 5

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 6

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 2.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 7

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 8

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रुप में राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 9

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 30.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 10

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 11

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 150.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 12

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 13 - 14

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत परिवहन व्यवस्था तथा विज्ञापन एवं प्रचार हेतु राशि रुपये 18.30 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 15

जन संपर्क विभाग के अंतर्गत वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को श्रद्धानिधि के अंतर्गत प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत क्षेत्र प्रचार हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 17

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 18

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 19

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

मद क्रमांक 20

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 5.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 21

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 22

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 1.50 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 23

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद के रूप में राशि रुपये 5.50 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में राशि रुपये 1.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 2

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के अन्तर्गत राशि रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत बहुविकलांग निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता हेतु राशि रुपये 7.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37
मुख्य शीर्ष 5452

मद क्रमांक 1

पर्यटन विकास निगम को अधोसंरचना का निर्माण हेतु राशि रुपये 13,48,95,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,48,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 38
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

5वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो -2012 की आयोजक संस्था को राशि रुपये 1.00 करोड़ और दिये जाने है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1 - 4

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ हेतु राशि रुपये 19.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन हेतु राशि रुपये 120.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

म.प्र. राज्य आपूर्ति निगम को राज्य शासन की वचनबद्धता पर बैंक से लिये गये ऋण तथा कार्यशील ऋण पर ब्याज अनुदान राशि के प्रदाय हेतु राशि रुपये 50.79 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,79,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत 19 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये रुपये 11.40 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 2

आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास योजना अंतर्गत 1 नवीन वाहन का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 7.25 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 3 - 7

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, ग्रेड पे तथा अध्यनरत छात्रों के भोजन व्यय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 24.81 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,81,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 8

आदिवासी छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत छात्रावास भवनो के निर्माण तथा अतिरिक्त शौचालयों हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 1161.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,61,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4402

मद क्रमांक 9

जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। इस हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में रुपये 13.73 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 1.52 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 15.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 10

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिण्डोरी जिले की बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 1200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 1

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित पुलों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	कुल लागत (रु. लाख में)
1.	खण्डवा	खण्डवा - कालमुखी मार्ग के किमी. 13/4 में टेमी नाले पर जलमग्रीय पुल	197.28
2.	खरगोन	मोयदा - मनावर आशापुर मार्ग पर शैल नदी पर उच्चस्तरीय पुल	191.64
3.	खरगोन	काकडदा नीमगढ़ मार्ग पर सुकड नदी पर जलमग्रीय पुल	295.66

उपरोक्त पर वित्तीय वर्ष में रुपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	43
मुख्य शीर्ष	2204

मद क्रमांक 1-2

विभाग द्वारा आयोजित खेल गतिविधियों एवं महिला हॉकी अकादमी के खिलाड़ियों के भोजन से संबंधित लंबित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 305.73 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,05,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	44
मुख्य शीर्ष	2202

मद क्रमांक 1

महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय के अन्तर्गत आन-लाईन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारियों को पुरस्कार दिये जाने हेतु राशि रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

युवा पंचायत 2013 के आयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 500.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया था। उक्त आयोजन हेतु कुल आवश्यक व्यय रुपये 870.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 8,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	45
मुख्य शीर्ष	4702

मद क्रमांक 1

निर्माणाधीन लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में रुपये 45.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है एवं निम्नांकित लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को नवीन मद के रूप में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण कार्य हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी:-

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	अनुदान की राशि
1.	राजगढ़	कालियादेह बैराज	329.38	300	100
2.	राजगढ़	अरनिया बैराज कम काजवे	111.14	133	100
3.	टीकमगढ़	पैतपुरा वियर	121.32	106	100
4.	राजगढ़	सरेडीपुरा बैराज	167.73	173	100
5.	राजगढ़	कालापिपल बैराज	192.23	196	100

6.	राजगढ़	खजूरिया घाट बैराज	212.95	225	100
7.	नरसिंहपुर	बंधी पिटर तालाब	470.55	215	100
8.	भोपाल	मगराडोला बैराज	135.66	180	100
9.	भोपाल	पिपलियारानी बैराज	139.41	188	100
10.	भोपाल	बिलखिरिया बैराज	146.07	198	100
11.	विदिशा	सगड रिबर सिंरीज	279.31	270	100
12.	विदिशा	देशीपुरा बैराज कम काजवे	108.90	110	100
13.	विदिशा	बरीं धामण्ड बैराज कम काजवे	139.49	142	100
14.	विदिशा	खेरखेड़ी बैराज	184.13	190	100
15.	विदिशा	हिनौतिया बैराज कम काजवे	174.43	175	100
16.	विदिशा	सिन्दुरिया बैराज कम काजवे	119.97	120	100
17.	विदिशा	बरींघाट बैराज कम काजवे	439.66	364	100
18.	विदिशा	मियांखेड़ी बैराज	174.60	175	100
19.	मंदसौर	अवनानाला सालिड वियर	169.71	190	100
20.	सतना	अमझर तालाब	310.02	190	100
21.	सतना	मौहास तालाब	265.51	121	100
22.	राजगढ़	घोघराघाट बैराज	303.94	250	100
23.	राजगढ़	खैरखेड़ी बैराज	188.72	198	100
24.	सीहोर	सेवनिया बैराज	104.96	92	100
25.	सीहोर	भूरत बैराज	100.90	122	100
26.	दमोह	सतापारी वियर	139.45	126	100
27.	नीमच	करेल तालाब	535.05	270	100
28.	मंदसौर	देवरी तालाब	298.52	148	100
29.	मंदसौर	देवरिया विजय तालाब	397.47	191	100
30.	मंदसौर	रलायता तालाब	590.27	280	100
31.	मंदसौर	रहीमगढ़ तालाब	871.97	390	100
32.	मंदसौर	कराडिया तालाब	572.93	320	100
33.	मंदसौर	भतेहपुर चिखली	740.89	340	100
34.	मंदसौर	दोरवाड़ा तालाब	694.03	311	100
35.	मंदसौर	मुंजियाखेड़ी तालाब	449.34	200	100
36.	मंदसौर	मिंदलाखेड़ी तालाब	780.85	360	100
37.	मंदसौर	बुधारा स्टापडेम	493.41	332	100
38.	पन्ना	किशनपुर तालाब	413.12	207	100
39.	पन्ना	बहादुरगंज तालाब	889.02	451	100
40.	टीकमगढ़	देवघाट वियर	216.91	250	100
41.	उज्जैन	पन्चेड बैराज	272.28	275	100
42.	उज्जैन	धान्धाभल्ला बैराज	194.89	190	100
43.	गुना	मसूरिया डायवर्सन फीडर	1133.40	965	100
44.	टीकमगढ़	हरपुरा केनाल एक्सपेंशन	3318.00	1972	100
45.	सागर	नयाखेड़ा (गणेशपुरा) तालाब	1467.47	830	100
46.	रायसेन	नागपुरा नागझिरी तालाब	3673.29	1989	100
47.	शिवपुरी	टीला तालाब	2385.55	1225	100
48.	पन्ना	इटवाखास तालाब	1157.93	594	100
49.	विदिशा	गरेठा तालाब	3716.99	1790	100
50.	नीमच	हमेरिया तालाब	3151.14	1450	100

51. सिवनी कंचनमंडी तालाब 4716.92 2219 100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,05,100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जल संरचनाओं के सुधार सुदृढीकरण और पुर्नस्थापन कार्य में रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निम्नानुसार सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य नवीन मद के रुप में प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र.	जिला	योजना का नाम	लागत (लाख में)	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	अनुदान की राशि
------	------	--------------	-------------------	--------------------------------	----------------

1.	गुना	सेंधुवा बैराज	289.38	270	100
2.	छिंदवाड़ा	बम्हनी बैराज	132.52	135	100
3.	डिण्डोरी	छोटुआ हाई लेवल तालाब	382.74	176	100
4.	अशोकनगर	रनेझाघाट बैराज	155.07	210	100
5.	दमोह	हथना तालाब	103.30	236	100
6.	दमोह	पाखरी घाट स्टापडेम कम काजवे	135.33	94	100
7.	बड़वानी	बजाद (अगलगांव) बैराज	120.18	130	100
8.	बड़वानी	बाकवाड़ी बैराज	105.43	115	100
9.	बड़वानी	भुलगांव बैराज	100.26	108	100
10.	धार	नलवनिया तालाब	336.05	172	100
11.	गुना	साफाबरखेड़ा तालाब	187.54	120	100
12.	पन्ना	महुआ दादा तालाब	455.03	230	100
13.	पन्ना	सेमरी तालाब	971.08	496	100
14.	पन्ना	नचनौरा तालाब	869.92	445	100
15.	पन्ना	इटायन तालाब	400.28	204	100
16.	पन्ना	मैनहा तालाब	551.41	286	100
17.	पन्ना	परसी तालाब	346.63	177	100
18.	पन्ना	पगारी तालाब	398.68	201	100
19.	पन्ना	दुधी उमरिया तालाब	351.01	182	100
20.	पन्ना	जमरा तालाब	530.57	271	100
21.	सिंगरौली	बेलडारा तालाब	578.59	315	100
22.	अशोकनगर	समेरी वियर कम काजवे	243.75	180	100
23.	अशोकनगर	बरखेड़ी वियर	191.41	195	100
24.	झाबुआ	भीमपुरा बैराज	225.90	210	100
25.	अलिराजपुर	राजावत बैराज	180.75	150	100
26.	शिवपुरी	पच्चीपुरा तालाब	2703.81	1495	100
27.	पन्ना	तिरिी गुरने तालाब	3570.03	1970	100
28.	छिंदवाड़ा	गोदियाबादोना तालाब	1410.34	500	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2800 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

ग्रीन कार्ड धारकों को दी जाने वाली सुविधा के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में अध्ययनरत ग्रीन कार्डधारी अभिभावकों की संतानों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु राशि रुपये 470.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

तकनीकी शिक्षा अंतर्गत अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों/कार्यरत अमले के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 1203.00 लाख एवं इंजीनियरिंग/पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान के एरियर्स राशि की प्रथम किश्त के भुगतान हेतु राशि रुपये 983.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 2186.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 19 पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोली. योजना अंतर्गत प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र से प्राप्त सहायता राशि रुपये 117.80 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,17,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 4 - 6

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के वेतन भत्तों/मजदूरी/कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 181.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,81,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1

इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य में रुपये 35.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

ओंकारेश्वर परियोजना एवं नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना अंतर्गत निर्माण कार्य में रुपये 210.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत राजसहायत मद में कुल राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। योजना

अंतर्गत 1363 प्राथमिक / माध्यमिक शालाओं में किचिनशेड कम स्टोर रुम का निर्माण किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में रुपये 382.70 लाख एवं राज्यांश के रूप में रुपये 127.57 लाख कुल रुपये 510.27 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,10,27,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 2

स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन तथा स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं हेतु एकमुश्त अनुदान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध प्रावधान के अतिरिक्त रुपये 2654.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,54,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54

मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म.प्र. भोपाल के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को पेंशन भुगतान हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 8.00 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये हैं।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

राज्य महिला आयोग का गठन योजना अंतर्गत नवीन वाहन क्रय मद में कुल राशि रुपये 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता मद में कुल राशि रुपये 74.76 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

संचालक, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के अंतर्गत परम्परागत कारीगरो/शिल्पियों की पंचायत के आयोजन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2 - 6

आयुक्त, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 76.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत केन्द्रांश की राशि रुपये 5.36 करोड़ एवं राज्यांश राशि रुपये 1.78 करोड़ व्यय किया जाना है। कुल राशि रुपये 714.88 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,14,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 1

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रो पोलिटेकनिक योजना के तहत 19 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवक एवं युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार से अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रुपये 22.80 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 2

प्रदेश में संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में पदस्थ अमले के भत्ते हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में पदस्थ अमले के मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 25.57 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,57,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5 - 6

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय में पदस्थ अमले के मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2.69 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,69,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गमित राशि की पूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 404.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,04,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 8 - 12

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित अम्बेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, ग्रेड पे तथा अध्यनरत छात्रों के भोजन व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 55.55 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,55,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4402

मद क्रमांक 13

जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना अंतर्गत 90 प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय किया जावेगा। इस हेतु भारत सरकार से प्राप्त सहमति अनुसार अनुसूचित जाति उपयोजना में रुपये 23.39 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 2.60 लाख राज्यांश

के रूप में कुल रुपये 25.99 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,99,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पोस्ट मैट्रिक छातवृत्ति के लंबित दायित्वों के निराकरण में राशि रुपये 75.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6225

मद क्रमांक 2

राष्ट्रीय निगमों की लंबित देयताओं के निराकरण के लिये राशि रुपये 9.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 2

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में मकान किराया भत्ता के लिये राशि रुपये 5.00 लाख एवं सफाई व्यवस्था हेतु रुपये 2.00 लाख कुल राशि रुपये 7.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 4

इंदिरा गांधी चिकित्सालय में सुरक्षा हेतु रुपये 2.00 लाख एवं सफाई व्यवस्था के लिये रुपये 1.00 लाख कुल राशि रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1 - 2

नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन एवं महंगाई भत्ता की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 13.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 6

चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पतालों में कार्य भारित का वेतन, दवाईयां गाजब्रेण्डेस एवं निःशुल्क जांच की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 8.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 8

चिकित्सा महाविद्यालय में बिजली पानी एवं वेतन भत्ते, मानदेय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा गारंटी योजना के अंतर्गत रोगियों को दवाईयों हेतु राशि रुपये 560.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74
मुख्य शीर्ष 2853

मद क्रमांक 1

ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से राजस्व का पंचायतों को अंतरण हेतु राशि रुपये 11152.66 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,11,52,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

मद क्रमांक 2-3

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान हेतु राशि रुपये 19444.71 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,94,44,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान हेतु राशि रुपये 7963.16 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 79,63,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 5

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन हेतु किचिन शेड निर्माण के लिये केन्द्रांश राशि रुपये 920.63 लाख एवं राज्यांश राशि रुपये 306.88 लाख कुल राशि रुपये 1227.51 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,27,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1,3,5

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त द्वितीय किस्त की राशि रुपये (191) में 41,33,89,000 (192) में रुपये 28,97,47,000 एवं (193) में रुपये 18,62,76,000 कुल राशि रुपये 88,94,12,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,94,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2,4,6

13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार सामान्य अनुपालन अनुदान अंतर्गत केन्द्र से प्राप्त द्वितीय किस्त की राशि रुपये (191) में 12,61,13,000 (192) में रुपये 8,84,60,000 एवं (193) में रुपये 5,48,37,000 कुल राशि रुपये 26,94,10,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,94,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

केश शिल्पी कल्याण योजना 2013 नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

राजीव आवास योजना हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 4,48,47,000 एवं केन्द्रांश की राशि रुपये 11,30,78,000 कुल राशि रुपये 15,79,25,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,79,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 2,25,83,000 एवं केन्द्रांश की राशि रुपये 9,03,31,000 कुल राशि रुपये 11,29,14,000 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,29,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 75 एवं 25 के अनुपात में राज्यांश के रूप में राशि रुपये 53.74 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन योजना अंतर्गत छात्रों को वितरित की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के वितरण पर रुपये 311.25 लाख का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,11,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

मद क्रमांक 3

खेलकूद गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के भोजन, गणवेश एवं यात्रा भत्ता पर रुपये 163.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 4

हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के निर्माण हेतु रुपये 6.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।